(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध यह जांच की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास)** :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

**समाचारपत्रों को रियायती दर पर अखबारी कागज की सप्लाई**

1568. **डा. बापू कालदाते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार समाचार पत्र समूहों को रियायती दरों पर अखबारी कागज उपलब्ध कराती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ छोटे समाचार पत्र अखबारी कागज को रियायती दरों पर खरीदने के पश्चात उसे ऊंची दरों पर बेच देते हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे समाचार पत्रों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है;

(घ) क्या यह सच है कि रत्नागिरी से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र अखबारी कागज को सरकार से रियायती दर पर खरीदने के पश्चात उसे बाजार में बेच देता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समाचार पत्र के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सरकार के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। अखबारी कागज की पात्रता के लिए प्रमाणपत्र जारी करने से संबद्ध 5 मई, 1992 को अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अखबारी कागज न तो बचा जाना चाहिए और न ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए। लेकिन भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय को सूचित कर एक समाचारपत्र द्वारा दूसरे समाचारपत्र को यह उधार पर दिया जा सकता है। अखबारी रकागज का अनधिकृत इस्तेमाल करने प संबंधित समाचारपत्रों को भविष्य में आयात पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा।

**रत्नागिरी में उच्च शक्ति वाले टी० वी० ट्रांसमीटर का स्थापित किया जाना**

1569. **डा०बापू कालदाते :**
**श्रीमती मीरा दास :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रत्नागिरी के दूरदर्शन केन्द्र के टी०वी० ट्रांसमीटर की क्षमता कम होने के कारण उस क्षेत्र के लोग दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देख नहीं पाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां की जनता ने सरकार से कई बार वहां एक उच्च शक्ति का टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो वहां अभी तक एक उच्च शक्ति का टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार रत्नागिरी में कब तक एक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास)** : (क) रत्नागिरी कस्बे में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) टी०वी० ट्रांसमीटर से, उसकी क्षमता कम होने के कारण, समूचे जिले में टी०वी० सेवा उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाती।